न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न0 :– 06 / 2024
दायर दिनांक :– 30.01.2024
निर्णय दिनांक :– 18.09.2025

उनवान

1. अमित यादव पुत्र श्री गजराज सिंह, जाति–अहीर निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील–बहरोड। ....वादी

बनाम्

1. श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री हनुमान सिंह यादव, जाति–अहीर निवासी–दहमी, तहसील–बहरोड ।
2. परमिन्दर पुत्र श्री हनुमान सिंह यादव, जाति–अहीर निवासी–दहमी, तहसील–बहरोड ।
3. मनीषा पुत्री श्री हनुमान सिंह यादव, पत्नी श्री जितेन्द्र यादव नम्बरदार, निवासी–भगवाडी खुर्द तहसील–बहरोड ।
4. सुषमा पुत्री श्री हनुमान जाति–अहीर निवासी–दहमी, तहसील–बहरोड जिला–अलवर राज. हाल पत्नी श्री ग्राम डहरा शाहपुर पोस्ट–विजय मंदिर, जिला–अलवर राज.
5. लैण्ड होल्डर एण्ड तहसीलदार साहब, बहरोड तहसील–बहरोड।
6. केनरा बैंक, बहरोड तहसील–बहरोड। ......प्रतिवादीगण

<u>दावा तकसीम आराजी, हुक्म ईस्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53, 188, 189 आर. टी.ए।</u>

<u>उपस्थित :–</u>

1. मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादी
2. सुरेन्द सिंह आर्य अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 04

–: अंतिम निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा द्वारा वर्तमान वाद में आराजी खसरा नम्बर 629 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम दहमी तहसील बहरोड बाबत दिनांक 12.06.2025 को प्रारभिक डिक्री पारित की गयी। उक्त डिक्री की पालना में अमला माल द्वारा पक्षकारान की मोजूदगी में कुर्रेजात कायम कर रिपोर्ट कुर्रेजात इस न्यायालय को उपलब्ध करायी गई है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकारो की आपत्ती पर सुना गया। प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ती प्रस्तुत नही की गई। वाद पत्र में मुताबिक रिपोर्ट

सहायक कलेक्टर
(...बहरोड)

कुर्रेजात निम्न प्रकार से अंतिम निर्णय किया जाकर विवादित आराजी को निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है :–

1. आराजी खसरा नम्बर 629/1 रकबा 0.495 है0 वाके ग्राम दहमी तहसील बहरोड़ में अमित यादव पुत्र गजराज सिंह जाति अहीर (यादव) निवासी कल्याणपुरा खातेदार रहेगे।
2. आराजी खसरा नम्बर 629/2 रकबा 0.165 किस्म बारानी वाके ग्राम दहमी तहसील बहरोड़ में कमलेश देवी पत्नी हनुमान प्रसाद जाति अहीर हिस्सा 1/4 व प्रवीन्द पुत्र हनुमान प्रसाद जाति अहीर हिस्सा 1/4, मनीषा पुत्री हनुमान प्रसाद जाति अहीर हिस्सा 1/4,सुषमा यादव पुत्री हनुमान प्रसाद जाति अहीर हिस्सा 1/4 साकिन रहन जमा बदस्तुर खातेदार रहेगा।
3. तहसीलदार बहरोड़ द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बहरोड़ को इसी कदर हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 18.09.2025 .को यह निर्णय मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)
सहायक कलक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)